NDMC
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

NDMC

अग्नि सुरक्षा संबंधी जानकारी

I आप सब की बारी ही जिम्मेदारी है तथा अत्यन्त आवश्यक है जिस भवन में आप कार्य करते हों/रहते हों

1) आग बुझाने वाले यंत्रों के ऊपर प्रचालन सीधी हिदायतें दी गई हैं।
2) प्रत्येक मंजिल पर पुश बटन फायर अलार्म बक्से उपलब्ध कराये गये हैं। ये लाल रंग के हैं और इनके सामने शीशा लगा है।
3) पानी, गैस, लाइट (पा+ग+ल) से सुरक्षित रहें, बचाकर रखें अकेले में न छोडे बन्द करके ही बाहर जाये।
4) ज्वलनशील पदार्थों का ढ़ेर न लगाये।

II अपने बचाव के लिए निम्न कार्यों को करने पर कोई पैसा खर्च नहीं होता।

1) यदि बाहर जाने का बचाव का रास्ता, फाल्तू वस्तुओं, सामानों बक्सों, अल्मारियों टूटे फर्निचर आदि से बाधित हो।
2) यदि सीढ़ियों का दरवाजा अथवा लिफ्ट लॉबी का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो, अथवा पूरी तरह बंद अथवा खुलता न हो।
3) यदि पुश बटन फायर अलार्म प्वाइंट अथवा आग बुझाने वाला यंत्र क्षतिगस्त हो, अवरूद्ध अथवा खराब पड़ा हो।
4) यदि कोई लूज फिटिंग प्लग अथवा सर्किट टैम्परेरी एक्सटेंशन प्वाइंट नोटिस में आए।
5) यदि बिजली के सर्किट में स्पार्किंग हो रही हो, उसे तुरन्त बंद करें।

III **आग के खतरों को कम करने के लिए आपकी भी समझदारी, जिम्मेदारी व अधिकार है।**

1) बेकार वस्तुओं का उचित प्रकार से निपटारा करें। फालतू कागज आदि केवल रद्दी की टोकरी में डाले।
2) प्रचालन क्षेत्र कार्यालयों की खाली जगहो अथवा टेरेसों पर कुकिंग केस पैकिंग सामग्री केवल उसके लिए नियत खुले स्थानों में ही जमा करें। गैस की ट्यूब की लम्बाई एक मीटर से कम न हो, एक साल में बदल दें। रात को रेगुलेटर बंद करें।
3) धूम्रपान निषेध क्षेत्रों में धूम्रपान न करें, न करने दें। धूम्रपान वाले क्षेत्रों में जलती सिगरेटें अथवा माचिस की तीलियाँ न फेंके/केवल ऐश ट्रे/थूकदानों का ही प्रयोग करें, बाहर गंद न फैलाएं।
4) पावर प्वाइंट का स्विच बंद करके रखे, प्रयोग करने के बाद प्लग को साकेट से निकाल दें

आग लग जाने की स्थिति में हिदायतें

I

1) नजदीकी फायर अलार्म पुश बटन का शीशा तोड़े। इन्टर कोम से बात करें या दौड़ कर कन्ट्रोल रूम को बताएं।
2) नजदीकी उपलब्ध आग बुझाने वाले यंत्र से आग बुझाए। इन यंत्रों का तभी उपयोग करें जबकि आप उनका प्रयोग जानते हो। तथा सीखने की कोशिश करें।
3) बिजली की आग वाले स्थानों में आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग तब तक न करें जब तक कि बिजली की सप्लाई काट न दी जाए। उस पर रेत व गमले की मिट्टी का प्रयोग करें।
4) फायर विभाग, सुरक्षा विभाग तथा उच्च अधिकारी को सूचित करें
5) नजदीकी अग्निशमन केन्द्र को टेलीफोन नं0 23743333 - 23412222 पर सूचित करें अथवा फायर ब्रिगेड को टेलीफोन नं0 101 पर सूचित करें।
6) मेन इलैक्ट्रिकल पोल/उपकरण/जनरेटर सैट आग लग जाने की स्थिति में आपरेटर को सूचित करें अथवा विद्युत अभियंता को टेलीफोन नं0................................ पर सूचित करें
7) टेलीफोन के उपकरणों/पावर की तारों में आग लग जाने की स्थिति में पावर रूम को टेलीफोन नं0 ....सूचित करें। ताकि मेन स्विच और बैटरी को तुरंत बंद किया जा सके।

यदि आप बाहर जाने की हिदायतें सुनेः

1) शीघ्र ही मंजिल से नीचे उतर जाए। जब तक कोई अन्य हिदायतें न आए, नजदीक आग से बचाव के रास्ते बाहर निकल जाए।
2) आग लग जाने पर आतंक न फैलाए अथवा चिल्लाए नहीं। कृपया शांत रहे।
3) सीढ़ियों की लॉबी में भीड़ न लगाए। भगदड न मचाएँ।
4) जब तक कोई हिदायत न दी जाए भागने के लिए लिफ्ट का प्रयोग न करें।
   विकलांग व्यक्ति की सहायता पहले करें।
5) शौचालय न जाए।
6) सीढ़ियों अथवा लॉबी के दजवाजे बंद रखें लेकिन चिटकनी न लगाएं।

आग आपकी दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है।

अग्निशमन अधिकारी
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्